सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल संख्या: 19-18011/71/2023-एमटीओ-नौमनि (कम्प्यूटर नंबर 22596) दिनांक: 01.08.2024

नौमनि परिपत्र संख्या 05/2024

विषय: एमटीओ के उन आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जिनमें मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स अधिनियम (एमएमटीजी), 1993 की धारा 7 (1) के अंतर्गत बीमा कवरेज में अंतराल अपेक्षित है।

जबकि, नौवहन महानिदेशालय (नौमनि) एमएमटीजी अधिनियम, 1993 का प्रशासन करता है।

जबकि, निदेशालय एमएमटीजी अधिनियम, 1993 की धारा 4 के प्रावधान के अंतर्गत मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटरों (एमटीओ) के पंजीकरण और नवीकरण हेतु विभिन्न आवेदनों पर प्रक्रिया करता है।

जबकि, एमएमटीजी अधिनियम की धारा 7 के परंतुक में यह अनिवार्यता है कि मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर (एमटीओ) मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट डोक्यूमेन्ट (एमटीडी) तब ही जारी करेगा जब मान्य बीमा कवर प्राप्त कर लिया गया हो, और यह अस्तित्व में हो।

जबकि, एमटीओ परिपत्र संख्या 01/2010 में यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के संबंध में एमएमटीजी अधिनियम, 1993 की धारा 4 के अंतर्गत एमटीओ के तौर पर पंजीकरण/नवीकरण जारी करने हेतु विहित की गई है।

जबकि, कुछ आवेदनों में यह देखा गया है कि बीमा कवर में कुछ दिनों से लेकर वर्षों तक का अंतराल रहा है।

जबकि, बीमा कवरेज की ऐसी स्थिति एमटीओ को जोखिम में भी डालती है।

जबकि, ऐसी दशा में एमटीओ द्वारा कोई एमटीडी जारी किया जाना एमएमटीजी अधिनियम, 1993 की धारा 7 का उल्लंघन होगा।

जबकि, एमएमटीजी अधिनियम, 1993 की धारा 5 (बी) में व्यवस्था है कि पंजीकरण के उपरांत एमएमटीजी अधिनियम, 1993 या उसके अंतर्गत बने नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने का आदेश दिए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति कारण बताओ का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत इसे निरस्त करने का आदेश जारी कर सकता है।

जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि किसी अवधि हेतु बीमा कवरेज न होने की दशा में उस अवधि को एमएमटीजी अधिनियम, 1993 की धारा 5 और 7 का उल्लंघन समझा जाएगा और वह इस बारे में नोटिस जारी करेगा जिसका जवाब सात दिनों के भीतर देना होगा, ताकि नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

इसलिए अब, आवेदन/विस्तार की प्रस्तुति को बीमा कवरेज के उल्लंघन में उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में जांचा जाएगा और तदनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।

(डॉ. सुधीर कोहकडे)
उप नौवहन महानिदेशक (एमटीओ)

सेवा में,

1. नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से सभी संबंधित हितधारक

प्रति अग्रेषित:

1. कम्प्यूटर कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि इसे नौमनि की वैबसाइट पर अपलोड करें